


संचिका सं०-10/विधि-16-15/2015... 665(10)/ डि - 28/09/16  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-400(10), दिनांक-25.07.2016 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. राज्यादेश की कंडिका-3 में अंकित "विपत्र कोड-N2210011100010" के जगह " विपत्र कोड-N2210011100012" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।


  
(शेखर चन्द्र वर्मा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-10/विधि-16-15/2015

665(10)/स्वा०, पटना, दिनांक:- 28/09/16

**प्रतिलिपि**-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/निदेशक, नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7,10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
Am